राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ जयपुर–302005
(दूरभाष 0141–2740735, ई–मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे–III/7926 दिनांकः– 29-09-2025

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13971/2025 दीपिका गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2025 में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। याचिकार्थी द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा–2023 में चयनोपरांत विभागीय पदस्थापन आदेश दिनांक 06.04.2025 द्वारा गैर–अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापन किये जाने के विरूद्ध याचिका दायर की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा–2023 में चयनित समस्त अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार संबंधित कोषालयों में नियुक्ति प्रदान की गई एवं इसके उपरांत विभिन्न विभागों में पदस्थापन किया गया।

याचिकार्थी का चयन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर किया जाकर अभिस्तावना गैर–अनुसूचित क्षेत्र हेतु निदेशालय को प्रेषित किये जाने पर विभागीय आदेश संख्या 233/2024–25 दिनांक 11.01.2025 द्वारा संबंधित कोषालय बांसवाडा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी। इसके उपरांत विभागीय आदेश दिनांक 06.04.2025 द्वारा याचिकार्थी का पदस्थापन गैर–अनुसूचित क्षेत्र अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी II, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) विभाग, उदयपुर में किया गया।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन के क्रम सं. 04 पर अंकित किया गया कि प्रार्थिनी द्वारा साक्षात्कार इत्यादि हेतु विस्तृत फॉर्म ऑनलाइन भरा गया जिसमें त्रुटिवश प्रार्थीनी द्वारा ''गैर–अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्ति चाहते है'' के कॉलम में 'हॉ' अंकित किया गया है।

अतः राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा याचिकार्थी की अभिस्तावना गैर–अनुसूचित क्षेत्र हेतु निदेशालय को प्रेषित किये जाने के फलस्वरूप याचिकार्थी का पदस्थापन गैर–अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर–अनुसूचित क्षेत्र का वर्गीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के स्तर पर किया जाता है।

अतः याचिकार्थी श्रीमती दीपिका गुर्जर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे–III/7926 दिनांकः– 29-09-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित याचिकार्थी सर्वश्री/श्रीमती..।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)